फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री कालूराम के बजाएः–रामी बाई जाट निवासी लक्ष्मीपुरा वगैरा बनाम सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति वगैरा

प्र.सं. 43/2018 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक आर्बिट्रेशन क्लेम अन्तर्गत धारा 3 जी (5) पेश किया जिसके प्र. सं. 23/2015 (रा.अ.) दर्ज होकर बहस हेतु दिनांक 21.11.2017 नियत थी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा कि आवश्यकता होगी तब तारीख पेशी पर बुलायेंगे तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तथा स्वयं भी उपस्थित नहीं होने से दिनांक 21.11.2017 को प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय मेरिट पर किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। अधिवक्ता की त्रुटि के कारण प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी तथा वह न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त प्रकरण संख्या 23/2015 (रा.अ.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण ने बनावटी व बेबुनियादी तथ्य प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.07.2017 को न्यायालय के समक्ष बहस हेतु अवसर लिया तथा उसके पश्चात् आगामी पेशी पर प्रार्थीगण एवं उसके अधिवक्ता के न्यायालय में नियत पेशी पर जान-बुझकर उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी ने न्यायालय में अनुपस्थिति बाबत् कोई ठोस एवं सद्भावी कारण नहीं बताया है जिससे प्रार्थी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी ने नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होने के संबंध में अधिवक्ता द्वारा उसे अवगत नहीं कराने का कथन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में प्रकरण संख्या 23/2015 (रा.अ.) निर्णय दिनांक 21.11.2017 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 23/2015 (रा.अ.) के संलग्न की जावे। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official